# न्यायालय, अवर न्यायाधीश, प्रथम, पटना सिटी

## T.S.-322/2019 (C.I.S. No.-322/19)

| Date | Order | Remarks |
|---|---|---|
| **29-11-19** | वादी की ओर से हाजरी तथा संशोधन आवेदन–पत्र दाखिल किया गया है। वाद को पंजी में पंजीकृत किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। वादी संशोधन आवेदन पत्र को संचालित कर निवेदन करते है कि वादी को वाद–पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाय, क्योंकि संशोधन आवेदन–पत्र साधारण प्रकृति का है।<br>सुनी। अभिलेख का अवलोकन की। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वाद में अभी प्रारंभिक अवस्था में है, जिसपर सिरिस्तेदार का प्रतिवेदन भी नहीं हुआ है तथा दाखिल संशोधन आवेदन–पत्र साधारण प्रकृति का है। जिससे वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है।<br>अतः वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन–पत्र न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है । वादी को आदेशित किया जाता है कि संशोधन आवेदन–पत्र के आलोक में वाद–पत्र के संशोधन करें। वाद दि0–21.12.19 वास्ते अग्रिम कार्यवाही।<br><br>आज्ञापित<br><br>अवर न्यायाधीश, प्रथम | |